न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः 307 / 2025(जी.सी.एम.एस.2025 / 434)

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1. भजन देवी पत्नी जगदीश पुत्री साहिबदिता जाति कम्बोज निवासी 54 एफ तहसील श्रीकरणपुर।	1. मनोहर लाल पुत्र साहिबदिता जाति कम्बोज निवासी 54 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 2. कमला देवी पत्नी रमेश चन्द पुत्री साहिबदिता जाति कम्बोज निवासी 61 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 3. शिमला रानी पत्नी पूर्ण चन्द पुत्री साहिबदिता जाति कम्बोज निवासी 61 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 4. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 16.09.2025

उपस्थितः 1. श्री मनजीत सिंह कचूरा अधिवक्ता वादी

——निर्णय—— **दिनांकः 07.10.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 60 एफ, पटवार हल्का 61 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 48/48 के मुरब्बा नम्बर 39 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि में से साहिबदिता पुत्र सुहावा राम के नाम से 1.518 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। साहिबदिता के द्वारा 1.518 हैक्टेयर भूमि का दानपत्र मुझ वादिया के हक में दिनांक 16.01.2012 को निष्पादित करवाया गया। दानपत्र की दिनांक से लेकर आज तक उक्त दानपत्र की भूमि शांतिपूर्वक मेरे कब्जा काश्त में चली आ रही है। वादिया व प्रतिवादीगण साहिबदिता पुत्र सुहावा राम जाति कम्बोज के विधिक वारिसान है। वादिया व प्रतिवादी संख्या 2, 3 केवल तीन पुत्रियां ही अपने पिता की संताने थी। कोई भाई नहीं था। इसलिए वादिया के पिता साहिबदिता द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 मनोहर लाल को गोद लिया। जिसके दतक पुत्र होने के नाते वह भी साहिबदिता की संतान हुई। वादिया के पिता साहिबदिता के नाम चक 60 एफ में मुरब्बा नम्बर 39 की 18 बीघा भूमि थी। जिसमें से 6-6 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को जरिए रजिस्ट्री नाम करवा दी तथा 6 बीघा भूमि अन्यत्र खरीद कर प्रतिवादी संख्या 1 मनोहर लाल के नाम करवा दी। चूकिं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में वादिया के पिता द्वारा 6-6-6 बीघा भूमि नाम करवाई जा चुकी है। जिसका इन्तकाल भी प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम हो चुका है। वादिया के पक्ष में 6 बीघा भूमि का दानपत्र करवाया गया है। जिसका इन्तकाल अभी तक वादिया के नाम से नहीं हुआ है। इस बात का अनुचित फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 नाजायज तरीके से वादिया के नाम की चक 60 एफ के मुरब्बा नम्बर 39 की 1.518 हैक्टेयर भूमि येन-केन प्रकार से हडपने की फिराक में है। आज से कुछ रोज पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा उक्त भूमि का इन्तकाल वादिया के नाम नहीं होने का फायदा उठाकर उक्त भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया, किन्तु वादिया की सचेत्ता के कारण वादिया द्वारा उनका उक्त प्रयास निष्फल कर दिया गया है। प्रतिवादीगण उक्त भूमि का इन्तकाल नहीं होने का फायदा उठाकर तथा फर्जी कागजात बनाकर उक्त भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को बेचान करने की फिराक में है। जिससे प्रतिवादीगण को रोके जाने के लिए वादिया को मजबूरन उक्त वादपत्र पेश करना पड रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादिया को राजस्व ग्राम 60 एफ, पटवार हल्का 61 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 48/48 के मुरब्बा नम्बर 39 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि में से साहिबदिता पुत्र सुहावा राम के नाम से 1.518 हैक्टेयर भूमि का पंजीकृत दानपत्र दिनांक 16.01.2012 की रूह से खातेदार घोषित किया जाकर किया जावे एवं उपर्युक्तानुसार अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व, श्रीकरणपुर को डिक्री पारित की जावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से सहमति का जवाबदावा पेश किया। सामिल मिसल किया गया। वादिया भजन देवी व प्रतिवादीगण मनोहर लाल, कमला देवी, शिमला रानी के द्वारा

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

न्यायालय में उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया। दोनो पक्षों की पहचान वादी अधिवक्ता के द्वारा की गई। राजीनामा पढकर सुनाया गया। दोनो पक्षों के द्वारा राजीनामा सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया। राजीनामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया। राजीनामा के अनुसार वादिया सहित प्रतिवादीगण भी इस बात पर सहमत है कि न्यायालय उपजिलाधीश राजस्व श्रीकरणपुर अनवानी मनोहर लाल बनाम साहिबदिता आदि, निर्णय दिनांक 14.06.2024 की अपील अनवानी भजन देवी बनाम मनोहर लाल में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 18.08.2025 के द्वारा ट्रायल कोर्ट के फैसले को यथावत रखे जाने के सम्बन्ध में आगे राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर नहीं जाना चाहते है। लोक अदालत की भावना से निस्तारित करवाना चाहते है। इसलिए वादिया के हक में किये गए दानपत्र दिनांकित 16.01.2012 के अनुसार भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति, एतराज नहीं है। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण के द्वारा सहमति का जवाबदावा पेश किया गया है तथा उभयपक्ष के द्वारा राजीनामा पेश किया है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। वादी अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि वादी का वादपत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. बहस सुनी गई, बहस के दौरान वादी अधिवक्ता ने वादी का वादपत्र उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की है। वादी के वादपत्र मय शपथपत्र, राजीनामा मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादी का वाद पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा मुताबिक डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

-ःआदेशः-

4. अतः अंतिम डिक्री बहक वादी, प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 48/1997 अनवान मनोहर लाल बनाम साहिबदिता आदि के निर्णय मय डिक्री दिनांक 14.06.2024 को अतिव्यापी (overlapping) करते हुए, राजस्व ग्राम 60 एफ, पटवार हल्का 61 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 48/48 के मुरब्बा नम्बर 39 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि में से साहिबदिता पुत्र सुहावा राम के नाम से दर्ज 1.518 हैक्टेयर भूमि का पंजीकृत दानपत्र दिनांक 16.01.2012 की रूह से वादिया भजन देवी पत्नी जगदीश पुत्री साहिबदिता जाति कम्बोज निवासी 54 एफ को खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 07.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

भजन देवी बनाम साहिबदिता आदि
धारा अन्तर्गत 88, 188 आरटीए
मुकदमा नम्बर **307/2025**
निर्णय दिनांक :-07.10.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री मनजीत सिंह कचूरा उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 48/1997 अनवान मनोहर लाल बनाम साहिबदिता आदि के निर्णय मय डिक्री दिनांक 14.06.2024 को अतिव्यापी (overlapping) करते हुए, राजस्व ग्राम 60 एफ, पटवार हल्का 61 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 48/48 के मुरब्बा नम्बर 39 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि में से साहिबदिता पुत्र सुहावा राम के नाम से दर्ज 1.518 हैक्टेयर भूमि का पंजीकृत दानपत्र दिनांक 16.01.2012 की रूह से वादिया भजन देवी पत्नी जगदीश पुत्री साहिबदिता जाति कम्बोज निवासी 54 एफ को खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे।

आज दिनांक 07.10.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**02**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

क्रमांकः रीडर/2025/754 दिनांकः 07.10.2025

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर